



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 228) पटना, सोमवार, 21 मार्च 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति -01-03/2015—1255
निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

18 मार्च 2016

विषय:—नई उत्पाद नीति, 2015 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप छोआ, सुषव, देशी शराब, मसालेदार शराब के निष्पादन एवं उपयोग के लिए दिशा-निर्देश।

विभागीय संकल्प सं0-386 दिनांक 27.01.2016 की कंडिका-4(iii) में प्रावधानित किया गया है कि "राज्य में कार्यरत आसवनियों के द्वारा 29.02.2016 के पश्चात् संशोधित सुषव का उत्पादन नहीं किया जायगा। छोआ आधारित (Molasses based) आसवनियाँ, 01 अप्रैल, 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत इथनॉल ही बनाएंगी। यह इथनॉल तेल कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल में Blending हेतु आपूर्ति किया जायगा। अनाज आधारित (Grain based) आसवनियाँ, 01 अप्रैल, 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत ENA ही बनाएंगी। इथनॉल/ENA बनाने के क्रम में जो भी विकृत सुषव अथवा अन्य कोई Bye product निकलता है तो उसे अनिवार्यतः नष्ट करना होगा।"

2. चीनी मिलों द्वारा फरवरी, 2016 के बाद छोआ के उपभोग पर रोक लगा दिए जाने के कारण छोआ के भण्डारण में कठिनाई का उल्लेख करते हुए तत्काल प्रभाव से इथनॉल निर्माण की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. छोआ भण्डारण एवं तेल कम्पनियों को निर्बाध इथनॉल आपूर्ति हेतु संकल्प सं0-386 दिनांक 27.01.2016 की कंडिका-4(ii) में आंशिक संशोधन करते हुए छोआ आधारित (Molasses based) आसवनियों को तत्कालिक प्रभाव से इथनॉल बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. संकल्प सं0-386 दिनांक 27.01.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा, शेष सभी यथावत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के0 के0 पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 228-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>